न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला–अजमेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या– 41 सन 2015

1–श्री श्रवण उम्र करीबन 65 साल पुत्र श्री छोगा जी
2–श्री पूनम सिंह उम्र करीबन 40 साल पुत्र श्री देवा जी
3–श्री भागचन्द उम्र करीबन 32 साल पुत्र श्री देवा जी
जाति रावतान निवासीयान गांव कुशलपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर
4–श्री मति कमला वयस्क पुत्री देवा जी पत्नि श्री रामकरण जाति रावत निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
5–श्री मति गीता वयस्क पुत्री देवा जी पत्नि श्री नारायण सिंह जाति रावत निवासी ग्राम देवपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर
6–श्री मति शान्ति वयस्क पुत्री देवा जी पत्नि श्री नारायण सिंह जाति रावत निवासी ग्राम लाम्बा ग्राम पचांयत नरबतखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर
7–श्री मति सुमित्रा वयस्क पुत्री देवा जी पत्नि श्री पदम सिंह जाति रावत ग्राम कासिया नयागाव,राजगढ तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
8–श्री मति लक्ष्मी वयस्क पुत्री देवा जी पत्नि श्री दीप सिंह जाति रावत निवासी ग्राम जीवाणा तहसील ब्यावर जिला अजमेर
9–श्री मति जमनी उम्र करीबन 65 साल बैवानन्दा जी जाति रावत निवासी कुशलपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1–श्री मति बरदी वयस्क पुत्री श्री बादर पुत्र राजू पत्नि श्री मल्ला सिंह जाति रावत निवासी खेडी,तहसील भिनाय जिला अजमेर
2–श्री हजारी वयस्क पुत्र राजू
3–श्री समन्द सिंह वयस्क पुत्र स्व0 छोटू
4–श्री जयसिंह वयस्क पुत्र स्व0 छोटू
जाति रावतान निवासीयान कुशलपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर
5–श्री जीवणसिंह वयस्क पुत्र श्री हजारी जाति रावत निवासी कुशलपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0
6–रा0सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय,मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक–13.10.2016

प्रार्थीगण ने इस प्रा0 पत्र मे साराशंत निवेदन किया है कि उनके पूर्वज स्व0 श्रीनंदा, देवा एंव श्रवण प्रशनगत आराजी ख0न0 38/1 रक्बा 08 बिस्वा व 38/2 रक्बा 4–10–00 वाके ग्राम कुशलपुरा तहसील मसूदा पर वर्तमान काश्तकारी अधिनियम के आगमन से पूर्व ही काश्त करते चले आ रहे थें। इसलिए उन्हे संवत 2041 मे ख0न0 38/1 मे खातेदार तथा 38/2 मे गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया । उनकी मृत्यू के बाद से उनके वारिसान प्रार्थी स0 2 लगायत 9 एंव प्रार्थी स0 1 काश्त करते चले आ रहे है। स्व0 नंदा एंव स्व0 देवा द्वारा इसी न्यायालय मे एक वाद स0 9/2002 अवानी नंदा व अन्य बनाम बादर व अन्य से पेश किया जिस पर निर्णय दि0 31.03.2003 से नंदा व देवा की मृत्यू पर उनके वारिसान को प्रश्नगत आराजी मे खातेदार घोषित किया तथा अप्रार्थीगण छोटू,बादर हजारी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण की प्रशनगत की आराजी मे दखलदांजी से निषेध किया।

प्रश्नगत आराजी न0 38/1 व 38/2 के परिचय मे लगायत ख0न0 37 रक्बा 6–07–00 अप्रार्थी स0 1 के पिता बादर एंव अप्रार्थी हजारी एंव स्व0 छोटू पि0 राजू के नाम की स्थित है जिसे कुशलपुरा के

नक्शे मे गलत दर्शा दिया गया है जबकि यह नम्बर मौके पर विधमान नही हैं ख0न0 37 जमाबंदी संवत 2041 एंव 2044 से 2047 तथा 2048 से 2051 मे सरकारी खाते बताई गई है और जमाबदी स0 2052 से 2057 मे पहली बार

गैरकानूनी रूप से बिना आवटन नियमन के अप्रार्थी हजारी स्व0 छोटू व स्व0 बादर के नाम लगा दी गई है।जबकि चौसाला जमाबन्दी संवत 2023 से 2026 मे इसके साबिक न0 4 सरकारी खाते दर्ज है। ख0न0 37 मौजा कुशलपुरा एंव मसूदा मे विधमान ही नही है। बल्कि कुशलपुरा के ख0न0 38 से लगायत जो मसूदा मे अन्य भूमिया है वे अप्रार्थीगण की भूमीयॅा है जिनके ख0 न0 37 न होकर अन्य है ख0न0 37 जमाबंदी संवत 2041 से 2052 मे नदारद बताई गई है। ख0न0 37 मे बादर हजारी व छोटू को खातेदारी दिये जाने के आदेश उपखण्ड अधिकारी ब्यावर की डिक्री दि0 21.08. 1984 से दिया जाना बताते हुए उनके नाम ना0क0 39 दि0 9.06.1992 से दर्ज किया जाना अकिंत है। जो अस्तीत्वहीन भूमि होने से नही दर्ज किया जा सकता ना ही बादर वगैरह को इसमे खातेदारी अधिकार पुराने कब्जे से मिलें। वाद न0 10/1981 देवा बनाम बहादूर वगैरह पर डिक्री दिनांक 21. 08.1984 को पारित की गई। जिसमे प्रार्थीगण के पूर्वज देवा पुत्र छोगा के दावे को खारीज किया गया उसमे किसी को खातेदार घोषित नही किया गया। इसके आधार जो बादर, हजारी, छोटू के हक मे ना0क0 किया गया है वह सर्वथा अवैध एंव प्रभाव शुन्य है। ख0न0 37 के अस्तीत्वहीन होने के बावजूद कुशलपुरा मे बताए जाने ग्राम कुशलपुरा एंव मसूदा की सीमाए विवाद ग्रस्त हो गई है जिनका नाम किसी भी कोण से नही बैठता। ख0न0 37 व 38 का नाप भू0अ0वि0 क्षेत्र जामोला एंव मसूदा तथा दोनो हल्का पटवारियन द्वारा दिनांक 23.11.2000 के माप किया लेकिन ख0न0 37 अस्तीत्व मे नही पाया गया रिपोर्ट तहसीलदार मसूदा को पेश की गई। इस समय नम्बर के अप्रार्थीगण समन्दरसिंह, जयसिंह, जीवणसिंह, पुत्र हजारी रावत निवासी कुशलपुरा के नाम चले आने से उसके स्थान पर उन्होने प्रार्थीगण के खेत ख0न0 38/1 व 38/2 की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर दि0 25.06.2016 को हल चलाकर खूदवा दिया हैं। मना करने पर जान से मारने की धमकीया दी

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जाना कानूनी अनिवार्यता है। प्रा0 पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर अप्रार्थी स0 1 से 5 को प्रार्थीगण प्रश्नगत खेतो मे दखंलदाजी से निषेध किया जावे।

प्रकरण अप्रार्थी 1 पर तामीली नही हो सकी है न ही अप्रार्थी स0 2 से 5 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी है। अतः वकील प्रार्थीगण को सुनाया गया । उनके तर्क प्रा0 पत्र अनुसार ही रहे। उनका विशेष रूप से तर्क यह रहा कि आराजी ख0न0 37 न तो कुशलपुरा मे न ही मसूदा मे कही अवस्थित है जमाबदी के इन्द्राज भी यही बताते है। ख0न0 37 की आड मे अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0न0 38/1 व 38/2 पर कब्जा करना चाहते है जिसमे मै अर्से दराज से साधिकार खातेदार हूॅ। सुविधा का संतुलन एंव प्रथम दृष्टिया मामला मैरे पक्ष मे है अतः मैरा प्रा0पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पांबद किया जावे।

मैने बहस के परिपेक्ष मे पत्रावली का अद्वोपांत अवलोकन करने पर पाया कि कुशलपुरा की जमाबंदी संवत 2041 मे ख0न0 37 रकबा 06–07–00 बीघा सरकारी खातेदर्ज होकर पुरातन पडत अंकित है । जमाबंदी संख्या 2044–47 व 2048–51 में ख.नं. 37 को नदारत अंकित किया गया है और 2052 से 2055 मेंना.क. सं. 39 दिनांक 9.06.1992 से बहादुर, हजारी व छोटू पिता राजू रावत के नाम लगायी गयी है । वहीं ख.नं. 38/1 व 30/2 ग्राम कुमपुरा की जमाबंदी सवत् 2041 से बदस्तूर, नन्दा, देवा श्रवण पि. छोगा के नाम चली आती है । ऐसी स्थिति में ख.नं. 37 जो अभिलेखानुसार ही नदारद है लेकिन अप्रार्थी सं0 1 से 5 के नाम लग जाने से वे सभंवतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी में दखलंदाजी करते होगे जिन्हें पूव्र में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03. 2003 से निषेध किया हुआहै । अभिलेख की स्थिति प्रार्थीगण के पक्ष में बनती है ।

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तय करते वक्त मुख्यतः तीन बिन्दुओ पर विचार करना होता है कि प्रथम दृष्टिया मामला किसके पक्ष में बनता है ? दूसरा सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में है ? तथा तीसरा एसी स्थिति में क्षतिकारित किसकी होगीं। ये तीनो ही बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष मे बनते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की कुशलपुरा स्थित आराजी ख0न0 38/1 व 38/2 के किसी भी भाग मे जबरन कब्जा करने एंव प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे दंखलदाजी आदि करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद के मुमानियत की जाती है।

आदेश आज दिनांक 13.10.2016 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सुरेश चावला
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.26 17:33:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: